

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in  
क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2018-19/ 1204 भोपाल, दिनांक 25/01/2019  
प्रति,

प्राचार्य,  
पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र,  
नौगांव (छतरपुर), मुलताई (बैतूल), शिवपुरी, राऊ(इन्दौर)  
मध्यप्रदेश।

**विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मांग संख्या-62 में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रो हेतु योजना क्रमांक-2468 अन्तर्गत चतुर्थ त्रैमास में बजट आवंटन बाबत।**

-00-

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा पंचायत राज संचालनालय के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आवंटन जारी किया गया है, तदनुसार पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत प्राचार्य सचिव प्रशिक्षण केन्द्र के आहरण संवितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम त्रैमास हेतु मांग संख्या-62 में निम्नानुसार आवंटन जारी किया जाता है :-

1. मांग संख्या-62-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था-8888 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मजदूरी, डाक एवं तार व्यय, पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकाए मद में प्राचार्य, पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव (छतरपुर), मुलताई (बैतूल), शिवपुरी एवं राऊ(इन्दौर) को संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार राशि रूपये 163300/- (राशि रूपये-एक लाख तिरसठ हजार तीन सौ मात्र) का आवंटन प्रदाय किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-13/2010/22/पं-1, दिनांक 12 मई 2010 के अनुसार जनपद पंचायतों को अन्तरित की जाने वाली राशियां बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जिला पंचायतों को उपलब्ध कराने के वजाय सीधे ही जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराई जाने के संबंध में वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 997 दिनांक 8.10.2009 के अनुसार अनुमति प्रदान की गई है।


  
16/1/19

निरंतर....

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।
- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- (5) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आबंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आबंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (6) संचालनालय द्वारा आपको जारी आबंटन का व्यय म.प्र.शासन, वित्त विभाग के क्रमांक/445/587/2017/ब-1/चार, दिनांक 09.04.2018 से जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करे।


संलग्न :- परिशिष्ट

  
अपर संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2018-19/ 1205  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 25/01/2019

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पं0ग्रा0वि0 विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला(संबंधित) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ। सौंपे गये आबंटन के विरुद्ध बंटन आदेशानुसार व्यय सुनिश्चित करें।
7. निज सहायक, संचालक, पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।

  
अपर संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-62-(आयोजनेत्तर)-2515-योजना क्रमांक-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था में आवंटित राशि का विवरण

(राशि रूपये में)

क्र.	मद का नाम	बजट प्रावधान	उपलब्ध बजट	चतुर्थ त्रैमास हेतु जारी आवंटन				
				संस्था का नाम - पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र				कुल आवंटित राशि
				मुलताई(बैतूल) 0302203001	शिवपुरी 3902602002	नौगांव(छतरपुर) 0602602003	राऊ(इन्दौर) 1702203001	
आवंटित राशि	आवंटित राशि	आवंटित राशि	आवंटित राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	# 11 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	30000	30000	1875	1875	1875	1875	7500
2	# 12 मजदूरी	1000000	1000000	27500	35000	60000	27500	150000
3	# 22 001-डाक एवं तार व्यय	18000	18000	1125	1125	1125	1125	4500
4	# 22 004-पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	5000	5000	325	325	325	325	1300
5	# 22 006-वर्दिया	6000	6000	0	0	0	0	0
6	# 22 007-लेखन सामग्री एवं फार्म	3000	3000	0	0	0	0	0
7	# 22 008-अन्य आकस्मिक व्यय	1000	900	0	0	0	0	0
योग		1063000	1062900	30825	38325	63325	30825	163300

अपर संचालक(वित्त)

पंचायत राज संचालनालय

म.प्र.भोपाल